[भारत के राजपत्र
भाग-दो, खण्ड-3 के उप खण्ड –(i) } में प्रकाशनार्थ]

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

अधिसूचना

नई दिल्ली, जून 2019

सा.का.नि. ....., केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 के उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह 'ग' पद के सहायक उप निरीक्षक(आरमोरर) (पुरूष) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(क) इन नियमों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहायक उप निरीक्षक(तकनीकी संवर्ग) (अराजपत्रित) (पुरूष) समूह ''ग'' पद की भर्ती नियम 2019 कहा जाएगा।

(ख) ये, इनके राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. 2. **परिभाषाएं:** इन नियमों में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) '' महानिदेशक'' से अभिप्राय महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से है।

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय नियुक्ति प्राधिकारी अथवा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम1955 में निर्दिष्ट प्राधिकारी से है।

(ग) इस नियम के अंतर्गत **''शेप-एक''** का अर्थ चिकित्सा श्रेणी से है जिसे नीचे परिभाषित किया गया है:-

(i) शेप के दर्शाए गए कोड वर्ण जिनका अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है, के तहत अधिकारी की फिटनेस आंकलन करने के बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा वर्गीकरण किया जाएगा:-
एस- मनोवैज्ञानिक
एच- श्रवण
ए- उपांग
पी- शारीरिक क्षमता
ई- दृष्टि

(ii) प्रत्येक फैक्टर में ग्रेड-1 वाले अधिकारी को छोड़कर दूसरे अधिकारियों के प्रत्येक फैक्टर के अंतर्गत उनकी घटती हुई कार्यात्मक दक्षता को दर्शाते हुए उनकी कार्यात्मक क्षमता को प्रत्येक कोड वर्ण के आगे 1 से 5 अंकों के माध्यम से लिखा जाएगा। प्रत्येक फैक्टर में ग्रेड-1 वाले अधिकारी की श्रेणी को एस1, एच1, ए1, पी1, ई1 लिखने के बजाय शेप-1 लिखकर दर्शाया जाए :-

1. भारत में कही भी सभी प्रकार की ड्यूटियों के लिए फिट है ।
2. सभी प्रकार के ड्यूटी की लिए फिट हैं परन्तु ड्यूटियों एवं तैनाती स्थान के अनुसार यदि इसमें गंभीर तनाव शामिल है या दोनों कानों या ऑखों की श्रवण या दृष्टि की तीक्ष्णता की जरूरत होने के कारण यह सीमित हो सकता है।

3. ''एस'' फैक्टर के सिवा नेमी या बिना भाग-दौड़ वाली डयूटियों के लिए फिट है लेकिन उच्च अल्टीट्यूट (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंड वाले ईलाकों या पहाड़ी क्षेत्र और लंबी डयूटी के लिए यह सीमित हो सकता है ।
4. अस्पताल में भर्ती या बीमार के लिए अवकाश के कारण अस्थायी अनफिट।
5. ड्यूटी के लिए स्थायी अनफिट ।

(घ) जिन शब्द और वाक्यांश का उपयोग यहां किया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं है, उनका अर्थ वही होगा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम,1949 तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली 1955 में उनके लिए नियत किया गया है।

3. **लागू होना:** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इससे संबंद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :-** उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

6. रिक्त पड़े प्रत्येक पद और इसके बाद होने वाले प्रत्येक रिक्ति को अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रक्रिया के अनुसार भरे जाएंगे।

7. **पदोन्नति पूर्व कोर्स :-**

फीडर रैंक वाले व्यक्ति को उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित की गई सेवा अवधि पूरी होने से पूर्व उनकी वरिष्ठता के अनुरूप अर्हक कोर्स में जाने के लिए नामित किया जाएगा और बल के ऐसे प्रत्येक सदस्य को पदोन्नति से पूर्व अनूसची में संदर्भित पदोन्नति पूर्व और पदोन्नति कोर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

बशर्ते कि यदि महानिदेशालय संतुष्ट है कि इस तरह का कोई कार्मिक सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं या अपरिहार्य कारणों से आवश्यक पदोन्नति पूर्व कोर्स में जाने में असमर्थ है तो बल के ऐसे सदस्य को पदोन्नत किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे पदोन्नति की तिथि से 02 वर्ष के अंदर पदोन्नति पूर्व कोर्स को उत्तीर्ण करना होगा और यदि वह असफल रहता है तो उसे पिछले पद और स्थिति में वापस लौटा दिया जाएगा।

8. **वरिष्ठता:-**

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता नियत की जाएगी ।

9. **तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति:-** इन नियम के संदर्भ में ऐसे ट्रेड को छोड़कर, जिसे विशेष रूप से तकनीकी (अर्थात-आरमोरर) घोषित किया गया है और महानिदेशालय, केरिपुबल द्वारा अलग नियमों के तहत शासित होगा।

10. **निरर्हता :- वह व्यक्ति अयोग्य होगाः-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट होती है कि ऐसा विवाह इस तरह के व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

11. **भारत के गैर नागरिकों की अयोग्यता :-**

वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्र सरकार से लिखित में पूर्व अनुमति के सिवाय इस नियम के तहत भर्ती नहीं होगा।

बशर्ते कि इस नियम में ऐसा कुछ नहीं है जो नेपाल अथवा भूटान के अभ्यर्थियों को बल में नियुक्ति या रोजगार से अवरोधित करता है।

12. **सेवा निवृति :-**

(1) इस नियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति 57 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले माह के अन्तिम दिन के अपराहन से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार होगा। बशर्ते कि वह व्यक्ति जिसकी जन्मतिथि माह की पहली तारीख होने पर उस व्यक्ति द्वारा अधिवर्षिता की उम्र पूरी करने पर वह उस माह के पूर्ववर्ती माह के अन्तिम तिथि के अपराहन से सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानीवृत्त के लिए निर्धारित आयु सीमा के पश्चात सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

13. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी प्रावधानों को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है।

14. **व्यावृत्ति :** इन नियमों में कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विषेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

15. **व्याख्या :-** यदि इन नियमों के अर्थ से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती की आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक उप निरीक्षक (आरमोरर) (पुरूष) (तकनीकी संवर्ग)	* 298(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ''ग'' अराजपत्रित(गैर मंत्रालयिक) वर्दीधारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -05 रू0 29200/- से 92300/-	चयनित पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगे	परीवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :- क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में जिस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसके क्या घटक हैं ?	वे परिस्थितियॉ जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती हेतु परामर्श की आवश्यकता है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा हवलदार(आरमोरर)(पुरूष) <u>नोट-01</u> जहॉ कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनकी पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है तो उनके वरिष्ठों को भी अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए उन्हें विचारार्थ लिया जाएगा बशर्ते कि ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम है, उससे उनकी अर्हक या पात्रता सेवा कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। नोट-2 पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी पदधारी द्वारा नियमित आधार पर अपने ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा दी हो, ऐसा न होने पर हवलदार(आरमोरर)ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा और सिपाही(आरमोरर) एवं हवलदार (आरमोरर) के पद में सम्मिलित रूप से 10 वर्ष की सेवा की हो और जिसने:- (i) महानिदेशालय द्वारा निर्धारित पदोन्नति पूर्व अथवा पदोन्नति कोर्स अथवा कोर्सों को उत्तीर्ण किया हो। (ii) चिकित्सा श्रेणी में " शेप-1" (SHAPE-1) और नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में संबंधित वेतन स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय पदोन्नति समिति(पदोन्नति हेतु विचार के लिए)इसमें शामिल होंगे:- (i) उप महानिरीक्षक- पीठासीन अधिकारी (ii) कमाण्डेंट- सदस्य- एक (iii) द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमाण्डेंट – सदस्य-दो (iv) सहायक कमाण्डेंट- सहयोजित सदस्य (v) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड में प्रर्याप्त ज्ञान हो।	लागू नहीं

(एफ नं0 एम-पॉच-1/2019-पी/सेल/स्था/केरिपुबल)

(ललित कपूर)

उप सचिव(कार्मिक-03)